भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता : एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण

सुमन कुमार
शोध छात्र, समाजशास्त्र विभाग
एस0डी0 (पी0जी0) कॉलिज, गाजियाबाद
(चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ (उ0प्र0) भारत)
मो0 नं0– +91–9719701511, 7983151770
ई–मेल : suman1041984@gmail.com

सारांश

नर से भारी नारी, एक नहीं दो–दो मात्राएँ। इन शब्दों के माध्यम से कविवर दिनकर जी ने समाज में महिलाओं के महत्व को अत्यन्त खूबसूरती से व्यक्त किया है। सृष्टि के सृजन व संचालन नारी की महत्वपूर्ण भूमिका होने के कारण ही उसका महत्व पुरूष से अधिक है सृजन एवं संचालन की इस सम्पूर्ण प्रक्रिया में महिलाओं का अंशदान पुरूषों से अधिक श्रेष्ठ है। समाज में महिलाओं की स्थिति में वैदिक काल से लेकर अब तक अनेक उतार–चढ़ाव देखने को मिलते है। वर्तमान में महिलाओं को कई अधिकार प्राप्त है जिनसे पूर्व में वह वंचित थी। आज महिलाएं उच्च शिक्षित होकर प्रत्येक क्षेत्र में अपनी भूमिका का संचालन बड़ी ही कुशलता से कर रही है। महिलाएं प्रगति के नित नये आयाम मचा रही है परन्तु तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि इसी समाज में महिलाएं प्रताड़ित भी होती है। महिलाओं के प्रति अपराधो की दर दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज सैद्धान्तिक रूप से तो महिलाओं के लिए कई योजनाएं एवं कानून है परन्तु व्यावहारिक रूप से उनका प्रयोग केवल नाममात्र के लिए ही होता है। महिलाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग वर्तमान में भी पीड़ित, वंचित एवं अपने अधिकारों के प्रति अनभिज्ञ है। अतः इस क्षेत्र में जागरूक होकर सार्थक प्रयास करने की आवश्यकता है।

प्रस्तावना

जिस समाज में महिलाओं की स्थिति जितनी अधिक सुदृढ़, क्रियाशील व प्रगतिशील होगी वह समाज और देश उतना ही अधिक समृद्धशाली व उन्नत होगा। किसी भी परिवार, समाज या देश को सुदृढ़ एवं समृद्ध बनने के लिए महिला एवं पुरूष को समान अधिकार प्रदान करने चाहिए। भारतीय समाज में महिला एवं पुरूष की तुलना रथ से की गयी है। जिस प्रकार रथ के दोनों पहिये समान न होने पर रथ असंतुलित होकर गिर जायेगा ठीक उसी प्रकार जब तक महिला एवं पुरूष को समान अधिकार प्राप्त नहीं होंगें तब तक वह समाज उन्नति के पद पर अग्रसर नहीं हो पायेगा। पं0 जवाहर लाल नेहरू का कहना है कि यदि हमें वास्तव में जनता को जागरूक करना है तो सर्वप्रथम समाज की महिलाओं को जागरूक करना होगा क्योंकि जब एक महिला आगे बढ़ती है तो न केवल एक परिवार आगे बढ़ता है अपितु पूरा गांव, शहर एवं देश आगे बढ़ता है।

भारतीय संस्कृति में महिला को शक्ति, धन–वैभव एवं ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। इसी प्रकार देवी दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती के रूप में उनकी पूजा होती रहती है। यहाँ हिन्दू देवी–देवताओं में अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई है। यहाँ नारी को अर्धांगिनी और पुरूष को अर्धनारीश्वर माना गया है। यहाँ महिलाओं को सम्मान देने के लिए भगवान श्रीराम एवं श्रीकृष्ण से पहले देवी सीता एवं राधा का नाम लिया जाता है। हिन्दू आदर्श के अनुसार स्त्री को अर्धांगिनी कहा जाता है और उसकी शक्ति महत्व इसी बात से सिद्ध हो जाता है कि वह न तो पुरूष की अनुगामिनी है और न ही उसके समकक्ष वह तो पूरक है परन्तु पुरूष की जन्मदात्री होने के कारण महिलाओं का स्थान सदैव ही पुरूष से श्रेष्ठ माना जाता है। पश्चिमी संस्कृति में महिलाओं का पत्नी और प्रेयसी रूप प्रधान है जबकि भारतीय संस्कृति में मातृत्व का सम्मान है व माँ का स्थान ही सर्वोपरि है और यहीं पर महिला पुरूष से ऊंची है।

भारतवर्ष में प्राचीन काल में अनेक विदुषी महिलाएं हुई। गार्गी, घोषा, अपाला, विद्योत्मा, तिलोत्मा जैसी महिलाओं के वृतान्त कई पुस्तको में देखने को मिलते है। इन महिलाओं ने न केवल समाज में उच्च स्थान ही प्राप्त किया अपितु अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणास्रोत बनीं। अनेक रानियों ने भी यहाँ राजकाज के निष्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी और रणभूमि में भी अपने अद्भुत शौर्य का परिचय दिया। रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, जीजाबाई, रजिया सुल्तान की अपार राजनैतिक क्षमताओं और साहस को आज भी याद किया जाता है परन्तु वैदिक काल से लेकर वर्तमान तक दृष्टि डालने पर हमें महिलाओं की स्थिति में अनेक उतार चढ़ाव देखने को मिलते है। भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न कालों में उनके आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं धार्मिक अधिकारी पर प्रकाश डालना आवश्यक है।

ऋग्वद काल को कुछ दृष्टियों से नारी स्वतन्त्रता का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में नारी की स्थिति अत्यन्त उन्नत थी। इस युग में पति–पत्नी दोनों समान रूप से सम्पत्ति के स्वामी होते थे एवं संयुक्त रूप से यज्ञ सम्पन्न करते थे, विवाह शिक्षा एवं सम्पत्ति के सम्बन्ध में महिलाओं की स्थिति प्रायः पुरूषों के समान ही थी। इस काल के प्रारम्भिक मन्त्र महिलाओं के प्रति आदर व्यक्त करने के साथ ही

उनके अधिकारों पर भी पर्याप्त बल देते है। इसके पश्चात् वैदिक काल में भी महिला एवं पुरूषों की सामाजिक स्थिति में समानता थी। इस काल में भी पर्दाप्रथा का प्रचलन नहीं था। महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने एवं जीवन साथी चुनने की पूर्ण स्वतन्त्रता थी। धार्मिक क्रियाओं में महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने एवं जीवन साथी चुनने की पूर्ण स्वतन्त्रता थी। धार्मिक क्रियाओं में महिलाएं स्वच्छंद रूप से सम्मिलित होती थी एवं उनका उपनयन संस्कार भी होता था। इस समय विवाह युवावस्था में होता था तथा विधवा पुर्नविवाह को मान्यता मिली हुई थी। सम्पत्ति के अधिकार में यद्यपि महिलाओं के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता था परन्तु फिर भी पत्नी और पुत्री के रूप में उन्हें कुछ अधिकार प्राप्त थे। घोषा, अपाला, विशम्भरा, गार्गी व मैत्रयी इसी काल की महिलाएं थी। **उत्तर वैदिक काल** के आरम्भ में महिलाओं को अनेक धार्मिक एवं सामाजिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया। इस काल में सिद्धान्त रूप में तो महिलाओं पर कई प्रतिबन्ध लगाये गये परन्तु व्यावहारिक रूप में महिलाएं अपने अधिकारों का प्रयोग करती रही। इसके बाद **धर्मशास्त्र काल** में महिलाएं निर्बल, निस्सहाय एवं परतन्त्र समझी जाने लगी। महिलाओं पर इस समय अनेक अनुचित निषेध थोप दिये गये। उन्हें शिक्षा, विवाह, सम्पत्ति के अधिकारों से वंचित कर दिया गया। विधवा पुर्नविवाह पर रोक लगाकर उनकी स्वतन्त्रता पर कठोर प्रतिबन्ध लगा दिये। **मध्यकाल** में ग्यारहवी शताब्दी में महमूद गजनबी की भारत पर विजय के साथ भारतीयों पर मुसलमानों का प्रभाव बढ़ने लगा और महिलाओं पर अनेक कठोर प्रतिबन्ध लगा दिये गये। इस काल में महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक व पारिवारिक दृष्टि से पुरूषों पर निर्भर होना पड़ा। धर्म के नाम पर महिलाओं का सर्वाधिक शोषण इसी काल में हुआ। इसके बाद **अठारहवी शताब्दी** के मध्य में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई। इस समय सामाजिक संस्थाओं के विखण्डन एवं राजनैतिक संरचना में उथल पुथल ने देश में सामाजिक जीवन में विशेष रूप में महिलाओं के पतन में विशेष रूप से योगदान दिया। इस समय ब्राहमणों ने हिन्दू धर्म की रक्षा करने एवं रक्त की शुद्धता को बनाये रखने के लिए महिलाओं पर भी अधिक कठोर प्रतिबन्ध लगाये। विवाह की आयु घटाकर 8 से 9 वर्ष कर दी गयी। विधवा पुर्नविवाह एंव महिला शिक्षा पर पूर्णरूप से रोक लगा दी गई। पर्दाप्रथा व सतीप्रथा इस समय अपने चरम पर थी। महिलाओं के सतीत्व की रक्षा करने के लिए उन्हें जन्म से लेकर मृत्युर्पर्यन्त पुरूषों के अधीन कर दिया गया और उनके समस्त अधिकार व स्वतन्त्रता समाप्त कर दी गयी। अठारहवीं शताब्दी से लेकर बीसवीं शताब्दी के मध्य तक अंग्रेज भारत के शासक रहे। इस अवधि में शिक्षा, रोजगार एवं सामाजिक अधिकारों को लेकर महिला–पुरूष के बीच असमानताओं में कुछ कमी आयी। माना जाता है कि ब्रिटिश काल में ही महिलाओं को सर्वप्रथम स्वतन्त्रता के दर्शन हुए क्योंकि अंग्रेजों ने अपने राज्य की स्थापना के लिए कलम का रास्ता चुना और उनके सामाजिक जीवन में स्त्रियों का सम्मान किया जाता था तथा सती प्रथा एवं पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियों का भी पूर्णतया अभाव था।

मुस्लिम समाज में यदि महिलाओं की स्थिति को देखे तो उनकी स्थिति भी शोचनीय है जबकि शायद इस्लाम ही एकमात्र वह धर्म है जिसमें महिलाओं को सर्वाधिक अधिकार प्राप्त है कहा भी जाता है कि कुरान व धार्मिक पुस्तक है जिसमें आज से 1400 वर्ष पूर्व ही महिलाओं के पुरूषों के बराबर मान लिया गया। गहराई से देखा जाये तो कोई भी धर्म किसी भेदभाव को प्रोत्साहन नहीं देता बल्कि सच्चा धर्म वही हैं जो पापों को जड़ों से काटकर मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। धर्म मानव सभ्यता व संस्कृति का पोषक, संरक्षण व निर्माता होता है। देखा जाए तो हर धर्म की महिलाओं को पुरूषों के बराबर अधिकार पाने में वर्षो लग गये परन्तु इस्लाम में धार्मिक गुरूओं द्वारा धर्म की मनमानी व्याख्या करके व धार्मिक खौफ दिखाकर मुस्लिम महिलाओं को कई अधिकारों से वंचित कर दिया गया हैं मुस्लिम महिलाओं को कई अधिकारों से वंचित कर दिया गया हैं मुस्लिम परिवारों में महिला शिक्षा का स्तर काफी निम्न हैं उन्हें निर्णय लेने की स्वतन्त्रता नहीं है। उन्हें पर्दा प्रथा व तीन तलाक का दंश झेलना पड़ता हैं तीन तलाक के बाद उन्हें हक–ए–मेहर से भी वंचित कर दिया जाता है। इसके पार्श्व में कहीं न कहीं धर्मान्धता, अंधविश्वास व पितसत्तात्मक समाज व्यवस्था है। इस्लाम की पुस्तक कुरान व हदीस की आयते महिला पुरूषों के समान अधिकारों पर बल देती हैं। हदीस की आयत 'तलबुल इल्म फरीजमुन अलाकुल्ली अलमुस्लिम व मुस्लिमा के माध्यम से हजरत मुहम्मद साहब बताते है कि तालीम हर मर्द व औरत के लिए निहायती जरूरी है। बाबजूद इसके मुसलमानों के महान नेता सर सैयद अहमद खान ने केवल मुस्लिम युवकों के लिए ही 1875 में एक स्कूल की स्थापना की जो आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तब्दील हो चुका है। अतः कह सकते हैं कि महिलाओं की शिक्षा सम्बन्धी प्रतिबन्ध धार्मिक न होकर सामाजिक है। धर्म तो मनुष्यों को धार्मिक मूल्यों को अंगीकार करने के लिए प्रेरित करता है।

कहने की आवश्यकता नहीं कि परिवर्तन प्रकृति का अटल नियम है। समस्त प्राकृतिक संसार के साथ मनुष्य जीवन में भी परिवर्तन होना स्वाभाविक है। औद्योगिकरण, नगरीकरण एवं आधुनिकीकरण के फलस्वरूप भारतीय समाज में भी उल्लेखनीय परविर्तन हुए जिसके परिणामस्वरूप हम अपनी संस्कृति एवं परम्पराओं से दूर होते चले गये। आज भारतीय समाज में महिलाओं के प्रति दोहरे मापदण्ड अपनाये जाते हैं एक ओर तो उन्हें देवी के रूप में पूजा जाता है। वही दूसरी ओर कन्या भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध किये जाते हैं। महिलाओं के प्रति यह संकीर्ण मानसिकता पीढ़ियों से चली आ रही है। पुरूषों के अनुसार महिलाओं को सदैव आज्ञाकारी होना चाहिए। पूर्व में महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखने का कारण भी संभवतः यही रहा होगा कि अशिक्षित महिला कभी भी अपने अधिकारों की मांग नहीं करेगी। महिलाओं की प्रगति में समाज में व्याप्त विभिन्न कुरीतियां भी सदैव ही बाधक बनी। वर्तमान में महिलाओं के प्रति हिंसक अपराधों का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा हैं महिलाओं के प्रति पूर्व में जो सम्मान व्यक्त किया जाता था आज उसमें धीरे धीरे ह्रास होता जा रहा है। महिलाएं आज घर व बाहर दोनों

जगह प्रताडित होती है। हमारे कानून और नीतियाँ नारी का उत्पीड़न रोकने और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने में सफल हुए है या परिवर्तन की आवश्यकता है। कुछ संस्थाओं के सर्वेक्षण प्रस्तुत है–

शीला बसे बनाम भारतीय संघ एआईआर 1983 एससी 378 (पुलिस हिरासत में महिला कैदियों पर होने वाली हिंसा पर सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका आयी थी याचिकाकर्ता महिला ने अपने पत्र में कहा था कि उन्होनें बाम्बे सेंट्रल जेल में पन्द्रह महिला कैदियों का साक्षात्कार किया, जिनमें से पाँच ने यह माना कि, पुलिस हिरासत में पुलिस ने उनके साथ जोर जबरदस्ती की।

जन्मपूर्व लिंग निरोधक अधिनियम 1994 पिछले 20 वर्षो से लागू है फिर भी कितनी अजन्मी कन्याओं का गला माता के गर्भ में ही घोट दिया जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना की बात करें तो एक भयावह सच्चाई सामने आती है कि हरियाणा के जिलों का लिंगानुपात सबसे कम है। महेन्द्रगढ़ जिले में बाल लिंगानुपात सबसे कम 775 है इसी जिले के नारनौल सीचसी के 60 गाँवो में तो पिछले एक साल से एक भी बेटी पैदा नहीं हुई है। यही हाल यहाँ साक्षरता का है। मेवात जिले में पुरूष साक्षरता 56 प्रतिशत और महिला साक्षरता 56.4 प्रतिशत है, लेकिन यहाँ 1000 पुरूषों पर 833 बेटियाँ है। स्त्री पुरूष की लिंग असमानता का यह अनुपात **'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं' योजना अक्टूबर 2014** पर एक प्रश्न चिन्ह लगता है। क्या हम इस अनुपात को सही कर पायेंगे क्या हम बेटियाँ बचा पायेगें।

यदि स्वास्थ्य के स्तर पर भारत में महिलाओं की स्थिति को देखें तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी सहस्त्राबढ़ी विकास लक्ष्य 2012 की एक रिपोर्ट में भारत में महिलाओं के स्वास्थ्य पर गंभीर चिंता प्रकट की गयी थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश में माँ बनाने के दौरान करीब 57 हजार महिलाओं की मौत हो गयी। यह पूरे विश्व में माँ बनने में होने वाली मृत्यु का 20 प्रतिशत है। भारत में मातृत्व मृत्यु दर प्रति एक लाख जीवित जन्में बच्चों पर करीब 212 है। जबकि सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य के तहत 2015 तक इसे 75 प्रतिशत कम करना हैं रिपोर्ट में कहा गया है। इस दर का पाना लगभग असंभव है। 1999 से 2009 के बीच मातृत्व मृत्यु दर में करीब 38 प्रतिशत की कमी दर्ज हो गयी है। जहाँ 1999 में यह दर 437 थी वहीं घटकर 212 पर आ गयी है। वर्ष 2010 के सुयंक्त राष्ट्र द्वारा जारी ये आँकड़े बताते हैं कि भारत में प्रतिदिन प्रसव पीड़ा से करीब 150 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है।

यह स्थिति जब है जबकि भारत सरकार आजादी के बाद से नारी स्वास्थ्य पर कई योजनाओं, कार्यक्रमों, पंचवर्षीय योजना के माध्यम से लगातार प्रयास करती रही है। चिन्ता का पहलू यह है कि उनके पोषण स्तर में लगातार गिरावट आती जा रही है। राष्ट्रीय पोषण मानिटरिंग ब्यूरों के अनुसार–15 वर्ष कम आयु की किशोरियों के लिए 2050 कैलोरी की जरूरत होती है लेकिन उन्हें केवल 1620 कैलोरी का भोजन ही मिल पाता है। फलीभूत वह जन्म के बाद से ही बेहद कमजोर हो जाती है और जब उनका माँ बनने का समय आता है तो वे शारीरिक और मानसिक स्तर पर माँ बनने लायक शक्ति नहीं जुटा पाती जिसकी वजह में उनकी मौत हो जाती है।

भारत सरकार की 11 फरवरी 2005 की आशा योजना, बालिका समृद्धि योजना 1997 बालिका प्रोतसाहन योजना 2006–07 किशोरी शक्ति योजना 2001, राष्ट्रीय पोषाहार मिशन 2001, जननी सुरक्षा योजना 2005, आदि योजनाओं के होते हुए भी ये आँकडे सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या भारत सरकार की नीतियों में परिवर्तन की आवश्यकता है, क्या सरकार नीतियाँ बनाकर सो जाती है, इन नीतियों–योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट का मूल्यांकन नहीं करती है।

'द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2012' के शीर्षक से जारी इस रिपोर्ट में बताया गया था कि 20 से 24 वर्ष की आयु की 30 प्रतिशत ऐसी महिलाएँ है जिनकी शादी 15 से 19 वर्ष की आयु मे हो गयी थी, 47 प्रतिशत ऐसी महिलाएँ थी जिनकी शादी 18 साल से कम आयु में कर दी गयी थी, साथ ही 18 प्रतिशत ऐसी महिलाएँ है जिनकी शादी 15 वर्ष से कम आयु में कर दी गयी थी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि देश में किशोरावस्था में माँ बनने की दर प्रति हजार 45 है जिसका यह अर्थ है कि 15 से 19 साल की प्रति हजार किशोरियों में 45 इस उम्र तक माँ बन जाती है। इस रिपोर्ट में भारत में 54 प्रतिशत महिलाएँ पति द्वारा पिटायी को उचित मानती है, जबकि 57 प्रतिशत किशोर भी इसे उचित मानते है।

आज महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए कई काननू एवं सरकारी योजनाएं है परन्तु व्यवहार में आज भी उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है। उनका अपमान करना एवं विभिन्न तरीकों से प्रताड़ित करना आज भी निर्बाध रूप से जारी है। आज ऐसे अनेक उदाहरण हमें प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिल जाते है जहाँ महिला कर्मचारियों का पुरूष सहकर्मियों द्वारा शोषण एवं उत्पीड़न किया जाता हैं। पुरूषों द्वारा महिलाओं पर भद्दी टिप्पणी करना एवं छेड़छाड़ की घटनाएं आम हो चुकी है। स्कूल जाने वाली छात्राओं के साथ बदसलूकी करना और विरोध करने पर मारपीट व बलात्कार को अंजाम देना यह सब घटनाएं जैसे प्रतिदिन की कहानी हो गयी है। उक्त घटनाओं से क्षुब्ध होकर छात्राएं दहशत में स्कूल जाना छोड़ देती हैं एवं उकई बार आत्महत्या तक कर बैठती है। वर्तमान समय में नैतिकता का इतना पतन हो चुका है कि छोटी–छोटी बच्चियों के प्रति भी बलात्कार एवं हत्या के अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है। कठुआ रेप मर्डर केस (8 साल की बच्ची),

अलीगढ की ट्विंकल मर्ड केस (ढाई साल की बच्ची), निर्भया काण्ड (दिल्ली), अरूणा शान बाग काण्ड, तन्दूर काण्ड। राष्ट्र अपराध रिकार्ड ब्यूरो के मुताबिक देश की आर्थिक राजधानी में पिछले वर्ष दुष्कर्ष के 391 मामले दर्ज किये गये थे। यही स्थिति देश के छोटे बड़े शहरों की भी है। राष्ट्रीय महिला आयोग के पिछले वर्ष जारी आँकड़ों के अनुसार भारत में प्रति 24 मिनट पर एक महिला यौन शोषण, प्रति 43 मिनट में एक महिला अपहरण, प्रति 54 मिनट में एक महिला बलात्कार, प्रति 102 मिनट में एक महिला दहेज प्रताड़ना का शिकार होती है। पश्चिम बंगाल के नदियाँ जिले में 71 वर्षीय नन से किये गये दुष्कर्म ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। 'कवि नगर' जनपद गाजियाबाद की अनुसूचित जाति की एक 17 वर्षीय पुत्री को उसकी पिता ने ही अपनी नाबलिंग बेटी से महीनों तक दुष्कर्म किया और जब उसने बच्ची को जन्म दिया तो उसे मौत के घाट उतार दिया। मोदीनगर की अपनी 18 वर्षीय बेटी का लगातार तीन महीने तक बलात्कार करता रहा। बड़ी बेटी से मन ऊब जाने के बाद उसने दूसरी 15 वर्षीय बेटी को अपनी हवस का शिकार बना डाला। छोटे भाई ने अपनी सगी बहिन, और बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ उसे अकेला पाकर बलात्कार कर बस्ती से दूर एक कुएं में फेंर हत्या कर दी। समाज के इस भेड़िये ने बता दिया हैवानियत ही हमारी जाति–धर्म है। हम न स्त्री के विकास में यकीन रखते हैं, न उसे देवी मानते है न समाज का अहम हिस्सा केवल भोग्या की दृष्टि से ही स्त्री को देखते हैं।

महिलाओं के प्रति होने वाले हिंसक अपराधों एवं दुव्यर्वहार के कारण ही आज महिला सशक्तिकरण की आवश्कता प्रबल हो चली है। सशक्तिकरण के बारे में विचार व्यक्त करते हुए पैलिनीथुराई ने कहा कि ''सशक्तिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज के विकास की प्रक्रिया में राजनीतिक संस्थाओं के द्वारा महिलाओं को पुरूषों के बराबर मान्यता दी जाती है।'' इसी प्रकार जीना मोहन्दले के शब्दों में ''निडरता, सम्मान और जागरूकता तीनों तीनों शब्द महिला सशक्तिकरण में सहायक है।''

महिला सशक्तिकरण से आशय केवल शक्ति का अधिग्रहण मात्र ही नहीं अपितु शक्ति का उपयोग करने से है। महिला सशक्तिकरण के द्वारा महिलाओं में आत्मसम्मान, आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता जाग्रत करना है जिससे वह भयमुक्त होकर समाज में कही भी आ जा सकें व अपनी गरिमा को बनाये रखते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। वर्तमान में महिला सशक्तिकरण का सबसे सशक्त माध्यम सिर्फ व सिर्फ शिक्षा ही हो सकता है क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति में विभिन्न कौशलों का विकास होता है एवं स्वनिर्णय लेने की क्षमता भी विकसित होती है। शिक्षित महिला अपने अधिकारों के प्रति भी सजग होती है एवं अन्य महिलाओं को भी जागरूक कर सकती है। आज सबसे बड़ी आवश्यकता महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने की है। आत्मनिर्भर एवं सजग महिलाएं देश के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे संकती है। अरस्तु ने भी कहा है कि ''किसी भी राष्ट्र की उन्नति या अवनति उस राष्ट्र की महिलाओं की उन्नति या अवति पर निर्भर है।

पूर्व में भी महिलाओं की स्थिति में सुदृढ़ बनाने के लिए कई प्रयास किये गये है। इस क्रम में 1972 को प्रकाशित मेरी वल्सटोक्राफर की पुस्तक ऐ विन्डीकेशन ऑफ दी राइट आफ वीमने को महत्वपूर्ण माना जाता है।'' उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक विभिन्न समाज सुधारकों जैसे ईश्वर चन्द्र विद्या सागर, राजाराम मोहन राय स्वामी दयानन्द सरस्वती, स्वामी विवेकानन्द, सावित्री बाई फुले, रामाबाई रानाडे, आनन्दी बाई जोशी आदि के प्रयासों के कारण महिलाओं के पर्दाप्रथा, सतीप्रथा, बालविवाह एवं बेमेल विवाह जैसे कुरीतियों से मुक्ति मिल गयी थी। इस समय पुनर्विवाह एवं अन्तर्जातीय विवाह को भी समर्थन मिला। समाज सुधारकों द्वारा कन्य पाठशालाएं खोली गयी तथा 1917 में बम्बई में युवतियों के लिए एन0डी0टी0 वि0वि0 की स्थापना हुई। इसके बाद 1932 में दिल्ली में लेडी इरविन कालेज की स्थापना हुई। महिला शिक्षा में सुझाव एवं सुधार हेतु देशमुख समिति (1958) हंसा मेहता समिति (1962) कोठारी आयोग (1964–66) ने कई सुझाव प्रस्तुत किये। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में महिलाओं को पुरूषों के समान शिक्षा का अधिकार तथा विज्ञान, तकनीकी व मैनेजमेण्ट की शिक्षा के प्रति प्रोत्साहन मिला। इस समय विभिन्न महिला आन्दोलनों, विश्वविद्यालय महिला संघ, अखिल भारतीय स्त्री शिक्षा संस्थ, भारतीय ईसाई महिला मण्डल, कस्तूरबा गांधी स्मारक ट्रस्ट ने भी महिलाओं की उन्नति के लिए सराहनीय कार्य किये।

कहना न होगा विभिन्न कानून के द्वारा भी महिलाओं को समानता व सुरक्षा प्रदान करने के प्रयास किये गये। समान पारिश्रमिक अधिनियम, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, स्त्रियों व कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम, दहेज निरोधक अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम को पारित करके महिलाओं के हितों को सुरक्षित रखने के प्रयास किये गये। महिलाओं के हितों को सुरक्षित रखने के प्रयास किये गये। महिलाओं के लिए पंचायतों में आरक्षण का भी प्रावधान है। संविधान की धारा 15 भी भेदभाव रहित अवसरों के समानता प्रदान करती है तथा धारा 20 व 29 में सभी भारतीय नागरिकों को शैक्षिणिक अवसरों की समानता प्राप्त है। 1990 में नेशनल कमीशन फार वीमेन बनाया गया तथा 1993 में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना हुई। विश्व स्तर पर भी महिलाओं को हिंसा व शोषण से मुक्ति दिलाने हेतु समय–समय पर महिला सम्मेलनों का आयोजन किया जाता रहा है। प्रथम विश्व महिला सम्मेलन में 1976 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष 1975–1984 के दशक को महिला दशक घोषित किया गया। इसके बाद 1980 में द्वितीय, 1985 में तृतीय व 1995 को आयोजित चतुर्थ विश्व महिला सम्मेलन में महिला शिक्षा, रोजगार व विकास के साथ ही लिंग भेद मिटाने के लिए भी प्रस्ताव पारित किये गये परन्तु इतने प्रयासों के बाद भी समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत ज्यादा संतोषजनक नहीं की जा सकती है।

कहने की आवश्यकता नहीं है कि आज महिलाएं तरक्की की नई ऊचाईयों को छू रही है और अपना व देश का नाम भी रोशन कर रही हैं देश का गौरव बढ़ाने के साथ ही महिलाएं अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा भी बन रही है। महिला साक्षरता दर आज बढ़कर 65.46 हो गई है। संसद में महिलाओं की प्रतिभागिता बढ़ती जा रही है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वित्तमंत्री, विदेशमंत्री, न्यायाधीश, अधिकारी इन सभी पदों के कार्यभार को महिलाओं ने बखूबी संभाला है। खेल जगत, चिकित्सा, तकनीकी पुलिस, फौज, शिक्षा, संगीत, फिल्में सभी क्षेत्रों में महिलाएं अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। आज महिलाओं ने पर्वतों की ऊंचाई को अपने पैरों से नाप लिया है परन्तु यह भी सत्य है कि महिलाओं का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी पीड़ित, उपेक्षित एवं अपने अधिकारों से अनभिज्ञ है। आज भी प्रतिदिन समाचार पत्रों में बलात्कार एवं हत्या की खबरें देखने को मिलती है। आज भी देश में लड़कियां यौन हिंसा का शिकार होती है। 21 प्रतिवर्ष मातृ दिवस एवं महिला दिवस पर सिर्फ एक दिन उन्हें मान सम्मान देने से कुछ नहीं होगा। वास्तविक खुशी तब मिलेगी तब महिलाओं के प्रति अपराध होने बन्द होगें। वही असली महिला दिवस होगा।

सुझाव

- महिलाओं को सशक्त बनाने का सबसे अच्छा साधन शिक्षा है शिक्षा से वंचित ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए निशुल्क शिक्षा एवं कम दूरी पर स्कूलों की व्यवस्था होनी चाहिए।
- आर्थिक रूप से कमजोर एवं बेरोजगार महिलाओं के लिए हस्त कौशल के प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार के अवसर उत्पन्न किये जा सकते है और महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने का मार्ग भी प्रशस्त हो सकता है।
- महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने की भी आवश्यकता है। साथ ही कानूनी प्रक्रियाओं को सरल एवं न्याय को सर्व सुलभ बनाने के लिए प्रयास किये जाये और महिलाओं को अन्याय एवं अपराधों के खिलाफ आवाज उठाने को प्रेरित किया जाये।
- महिलाओं को भी स्वयं अन्याय के विरूद्ध दृढ़ता से खड़ा होना चाहिए क्योंकि यर्थात् में कोई चमत्कार नहीं होता कोई फरिश्ता मसीहा बनकर नहीं आता। इसीएिल महिलाओं को स्वयं ही अपनी अबला वाली छवि तोड़कर उससे बाहर आना चाहिए।
- लड़कों को बचपन से ही सिखाया जाये कि लड़के लड़की दोनों बराबर हैं अपने लड़कों में महिलाओं को ऐसे संस्कार विकिसत करने चाहिए जिससे वह समाज की सभी महिलाओं का आदर व सम्मान करना सीखे। पुरूष मानसिकता बदलने की शुरूआत यदि प्रत्येक महिला अपने घर से करेगी तभी धीरे धीरे समाज में बदलाव आयेगा।
- सरकार की सारी नीतियां और योजनायें तब तक अधूरी हैं जब तक महिलाऐं भारत के विकास के प्रत्येक विजन में भागीदार नहीं होगी एक महिला का विकास वास्तव में मजबूत समाज और राष्ट्र के विकास की नींव है।
- भारत सरकार की बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओं, प्रधानमंत्री जन–धन–योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना या स्वच्छ भारत मिशन को साकार इसमें महिलाओं की समान रूप से भागीदारी न रखी जाये।
- ये योजनायें अगर महिलाओं की वर्तमान स्थिति में सुधार लाने, पुरानी मानसिकता, सामाजिक रूढ़ियों के बंधन से मुक्त कराने में असफल रही तो सरकार 'मेक इन इंडिया' का दावा पूरा नहीं कर सकती। इन योजनाओं पर एक बार पुनर्मंथन की आवश्यकता है।
- पुरूषों की तरह समाज के प्रत्येक पहलुओं में महिलाओं की बराबरी का हिस्सा और भागीदारी, हमारे विकसित राष्ट्र की कल्पना को साकार रूप दे सकती है।
- आज हर महिला का शिक्षित और जागरूक होना पहली आवश्यकता है यदि महिला शिक्षित होगी तो उसमें जागरूकता और साहस होगा, वह समाज की दकियानूसी सोच से लड़ सकेगी और अपने साथ–साथ अनेक महिलाओं का भविष्य उज्जवल करेगी। फलतः समाज से कुरीतियों और नारी शोषण का दानव ज्ञान के उजाले में स्वतः ही भाग जायें। हम अवश्य ही एक स्वस्थ सोच वाले स्वस्थ समाज को जीयेगें। आशा है ये सुझाव महिलाओं के विकास को कुछ आगे बढ़ायेगें।

निष्कर्षता कहा जा सकता है कि जब तक सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं शैक्षिक प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त नहीं किया जाता तब तक महिला सशक्तिकरण की बात करना निरर्थक होगा। सरकारी योजनाएँ एवं कानूनी प्रयास भी तभी सफल होगें जब महिलाओं के प्रति संकीर्ण सोच एवं पूर्वाग्रहों में बदलाव आये। इस दिशा में कुछ प्रयास किये तो जा रहे है परन्तु स्थिति अभी भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है लेकिन हाँ यह प्रयास एक सकारात्मक मोड़ की तरफ जाते हुए अवश्य प्रतीत हो रहे है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. शर्मा, श्री नाथ एवं कुमार, मनोज सिंह, ''पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास'', आदित्य पब्लिशर्स, म0प्र0 2000, पृ0 112
2. पाराशर, चिंरजीलाल ''नारी और समाज'', रमेश पब्लिकेशन्स, गाजियाबाद पृ0 201–202
3. सिंह, निशान्त, ''मानवाधिकार और महिलाएँ'', राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2008
4. यादव, प्रतिभा, ''उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक,'' साहित्य प्रकाशन आगरा, 2005, पृ0 471–474
5. फरजाना, अमीन, ''मुस्लिम पुरूष पोषक या शोषक', पृ0 143
6. जाहिद, हिना, ''पाकिस्तानी स्त्री, : यातना और संघर्ष'', पृ0 149
7. अंसारी, एम0ए0, ''महिला और मानवाधिकार,'' जयपुर, 2007 पृ0 224
8. पैलिनीथूराई जी, ''इण्डियन जनरल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन,'' वाल्यूम 471, जनवरी–मार्च 2001, पृ0 39
9. मेहन्दले लीना, ''अचीवमेन्ट एण्ड चैलेन्ज'', योजना, अगस्त 2001, पृ0 56
10. सिंह गौरव, ''महिला सशक्तिकरण हेतु सरकारी प्रयास एवं संवैधानिक व्यवस्थायें, आन्वीक्षिकी (शोध पत्रिका)'' 2013, पृ0 64
11. प्रो0 अरोड़ा, एस0सी0, सैनी सुरेश कुमार, ''महिला सशक्तिकरण की अवधारणा,'' राधा कमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा, जुलाई–दिसम्बर 2008, पृ0 32
12. नैयर रेणुका : ''नारी स्वतन्त्रय के बदलते रूप,'' अभिषेक पब्लिकेशन्स, चण्डीगढ़, 1990, पृ0 22–23
13. जसटा हरिराम, ''आधुनिक भारत में शैक्षिक चिन्तन,'' दिल्ली 1992, पृ0 21
14. शर्मा बी0एल0 सक्सेना, आर0एन0 ''शिक्षाशास्त्र'' सूर्या प्रकाशन मेरठ, 2006, पृ0 354–355
15. चटर्जी पत्रलेख, ''सवाल महिलाओं की सुरक्षा का है,'' अमर उजाला दैनिक समाचार पत्र, 2018 पृ0 10
16. सक्सनों, रीता, ''महिला अधिकार एवं कानून'', डी0वी0 स्टार, 28 जनवरी 2013, पृ0 28–31
17. पटेल, विभूति, ''हिंसा व महिला सशक्तिकरण : एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि'': हम सबला जनवरी–सितम्बर 2014, पृ0 19–26
18. अमर उजाला गाजियाबाद ब्यूरो, ''नाबलिंग बेटी से किया दुष्कर्म, जन्मी बच्ची को मार डाला,'' दैनिक समाचार पत्र, 23 अगस्त 2020, रविवार, नई दिल्ली पृ0–3

19- दैनिक जागरण दिल्ली ब्यूरो, '' छोटे भाई की पत्नी के साथ बलात्कार'', दैनिक समाचार पत्र, 7 जनवरी 2020, नई दिल्ली पृ0–11